अनुवाद

मुख्यालय
कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, सी.आई.जी.मार्ग,नई दिल्ली 110002

ई-मेल: hq@esic.in, **वेबसाइट: www.esic.nic.in**

संख्याः एसी(एफ)/2/विविध/2013 दिनांक 10.01.2014

वर्ष 2014 का कार्यालय आदेश संख्याः 01

श्री ए.के.सिन्हा, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है । इसका गठन विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत रिपोर्टिंग, निरीक्षण और शिकायत निवारण प्रणाली को एकीकृत करने हेतु मंत्रालय में एक वेब पोर्टल विकसित करने के लिए किया गया है जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आदेश संख्या जेड 20025/06/2013–सी एल एस1 आई, दिनांक 19.11.2013 द्वारा प्रशासित किए जा रहे हैं।

क.रा.बी.निगम से संबंधित मामलों के लिए वित्त आयुक्त, क.रा.बी.निगम इस गठित कार्यदल के सदस्य होंगे ।

मंत्रालय में दिनांक 13.12.2013 को कार्यदल की आयोजित बैठक में सचिव (श्रम एवं रोजगार) ने ब्यूरो प्रमुखों, जिनके पास विभिन्न समूहन का प्रभार है, को जिम्मेदारियाँ सौंपी । प्रत्येक अधिनियम के लिए केन्द्रक अधिकारी (एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ) भी नामित किए जाने हैं । प्रत्येक ब्यूरो प्रमुख को दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 तक संयोजक को केंद्रक अधिकारियों के नाम और दूरभाष संख्या सूचित करने की सलाह दी गई थी ।

तदनुसार, महानिदेशक महोदय ने श्री अरुण कुमार, अपर आयुक्त (राजस्व) और संजय सिन्हा, निदेशक (सू.सं.प्रौ.) को उक्त प्रयोजन हेतु वित्त आयुक्त के संपूर्ण मार्गदर्शन के अंतर्गत कार्य करने के लिए क.रा.बी. अधिनियम के संदर्भ में केंद्रक अधिकारी के रूप में नामित किया है । वित्त आयुक्त, क.रा.बी.निगम, क.रा.बी. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायित्व केंद्र{अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार, समर्पित वेब पोर्टल(रिपोर्टिंग, निरीक्षण और शिकायत निवारण) स्थापित करने हेतु)} के साथ समन्वय करेंगे ।

यह महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

ए.एस.मीरान

(ए.एस.मीरान)
अपर आयुक्त(वित्त)

सेवा में,

1. संबंधित अधिकारी ।
2. सचिव(श्रम एवं रोजगार) के प्रधान स्टाफ अधिकारी/अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार) के निजी सचिव।
3. महानिदेशक/वित्त आयुक्त/चिकित्सा आयुक्त/बीमा आयुक्त(राजस्व, सू.सं.प्रौ., हितलाभ, का. एवं प्रशासन, रा.प्र.अकादमी) के निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक ।
4. श्री बाबू चेरियन, उप सचिव(आई आर), भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001
5. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, स्था.शाखा–1, मुख्यालय, क.रा.बी.निगम ।
6. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर डालने हेतु ।

BDM\ACCOUNT\acct\A.S.MEERAN.doc

वेबसाइट की विषय–सूची का प्रबन्धन........
Website Contents Management..........
डायरी सं./Diary No....28.........
दिनांक/Date.....15/01/14

10(ग)